रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02092026-275932
CG-DL-W-02092026-275932

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, अगस्त 23—अगस्त 29, 2026, शनिवार/ भाद्र 1—भाद्र 7, 1948
No. 30] NEW DELHI, AUGUST 23— AUGUST 29, 2026, SATURDAY/ BHADRA 1— BHADRA 7, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
**Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India**
**(Other than the Ministry of Defence)**

## मंत्रिमंडल सचिवालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2026

**सा.का.नि. 153.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंत्रिमंडल सचिवालय स्टाफ कार ड्राइवर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2021 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मंत्रिमंडल सचिवालय स्टाफ कार ड्राइवर, समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय स्टाफ कार ड्राइवर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2021 की अनुसूची में, क्रम संख्यांक 3 में,

   (i) स्तंभ (6) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः-

   "लागू नहीं होता।";

(ii) स्तंभ (7) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः-

"लागू नहीं होता।";

(iii) स्तंभ (9) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः-

"पुनर्नियोजन के लिए दो वर्ष।";

(iv) स्तंभ (10) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः-

"प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन द्वारा।";

(v) स्तंभ (11) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः-

"प्रतिनियुक्ति/आमेलनः मंत्रिमंडल सचिवालय के ऐसे नियमित डिस्पैच राइडर (समूह 'ग') और वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में कार्यरत समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जो मोटर कार चलाने हेतु विधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति रखते हों और मोटर कार चलाने की दक्षता का आकलन करने के लिए आयोजित चालन परीक्षण के आधार पर सक्षम हो; ऐसा कर्मचारी उपलब्ध न होने की स्थिति में केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों में नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर (समूह 'ग') या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18,000-56,900 रुपये) में कार्यरत नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थातः-

(i) मोटर कार चलाने हेतु विधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति धारक हो;

(ii) मोटर यंत्र-प्रणाली का ज्ञान (अभ्यर्थी वाहन में उत्पन्न होने वाली मामूली खराबियों को दूर करने में सक्षम हो);

(iii) मोटर कार चलाने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव; और

(iv) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या आमेलन के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**पुनर्नियोजनः**

ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने सशस्त्र बलों में 15 वर्ष की सेवा की हो, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण हो, हल्के और भारी मोटर वाहनों को चलाने का अनुभव रखते हों, विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति धारित हों और जिनकी रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशक द्वारा अनुशंसा की गई हो।"

[फा. सं. ए – 12018/01/2020-प्रशा.-1]

आशीष मल्होत्रा, निदेशक

**टिप्पणः** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा. का. नि. 99, तारीख 26 अगस्त, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## CABINET SECRETARIAT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2026

**G.S.R. 153.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Cabinet Secretariat Staff Car Drivers, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2021, namely: -

1. (1) These rules may be called the Cabinet Secretariat Staff Car Drivers, Group 'C' Posts, Recruitment (Amendment)Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cabinet Secretariat Staff Car Drivers, Group ‘C’ Posts, Recruitment Rules, 2021, in the Schedule, in serial number 3,

(i) in column (6), for existing entries, the following entries shall be substituted, namely: -
“Not applicable.”;

(ii) in column (7), for existing entries, the following entries shall be substituted, namely: -
“Not appliable.”;

(iii) in column (9), for existing entries, the following entries shall be substituted, namely: -
“Two years for re-employed.”;

(iv) in column (10), for existing entries, the following entries shall be substituted, namely: -
“Deputation/absorption, failing which by re-employment of Armed forces Personnel.”;

(v) in column (11), for existing entries, the following entries shall be substituted, namely: -
**“Deputation/absorption:** From amongst the regular Despatch Rider (Group ‘C’) and Group ‘C’ employees in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in the Cabinet Secretariat, who possess valid driving license for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars, failing which from officials holding the post of Despatch Rider (Group ‘C’) on regular basis or regular Group ‘C’ employees in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) or in other Ministries or Departments of the Central Government who possess the following qualification and experience, namely:

(i) possession of a valid driving license for motor cars;
(ii) knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in the vehicle);
(iii) experience of driving a motor car for at least three years; and
(iv) 10th class passed from a recognised Board.

**Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

**Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

**Re-employment:**

Ex-servicemen having fifteen years of service in the armed forces, having passed matriculation from a recognised Board and having a valid driving license with experience of driving light and heavy motor vehicles, recommended by the Director General of Resettlement, Ministry of Defence”.

[F. No. A-12018/01/2020-Ad. I]

ASHISH MALHOTRA, Director.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.99, dated the 26th August, 2021.

---

## संस्कृति मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2026

**सा.का.नि. 154.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी II पद) भर्ती नियम, 1962 को जहां तक उनका संबंध कार्यालय अधीक्षक पद से हैं, अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिसे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय के भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कार्यालय अधीक्षक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.–** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.–** वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.–** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.–** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| **पद का नाम।** | **पदों की संख्या।** | **वर्गीकरण।** | **वेतन मैट्रिक्स में स्तर।** | **चयन पद है अथवा अचयन पद।** | **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।** |
|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| कार्यालय अधीक्षक | 17* (2026) कार्यभार के आधार पर * किया जा सकता है। परिवर्तन | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर-6 (35400/- – 112400/- रुपए) | चयन पद | लागू नहीं। |

| **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।** | **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।** | **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।** | **भर्ती की पद्धति भर्ती : सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा / तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।** | **प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।** | **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना।** | **भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| लागू नहीं। | लागू नहीं। | दो वर्ष। | (i) 80 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न हो | **प्रोन्नति:** वेतन-मैट्रिक्स के लेवल 4 (रु. 25500/- – 81100/-) के वरिष्ठ सचिवालय सहायक जिन्होंने इस ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा और उच्चतर पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कार्यक्षेत्र में | **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के** | लागू नहीं। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सकने की दशा में अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा; और<br>(ii) अल्पकालिक संविदा सहित 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा। | कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।<br>**टिप्पणी 1:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br>**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):**<br>केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी:<br>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या<br>(ii) जो वेतन-मैट्रिक्स के लेवल 5 (रु.29200/- - रु.92300/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 06 वर्ष की सेवा की हो; या<br>(iii) जो वेतन-मैट्रिक्स के लेवल 4 (रु.25500/- - रु.81100/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 10 वर्ष की सेवा की हो; और<br>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों:<br>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; और<br>(ii) प्रशासनिक या स्थापना और लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव।<br>**टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br>**टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पणी 3:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। | **संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:**<br>(1) संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली — अध्यक्ष;<br>(2) निदेशक या उप सचिव, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली- सदस्य<br>(3) निदेशक या विभागाध्यक्ष, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण- सदस्य।<br>**समूह 'ख' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टि के संबंध विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:**<br>(1) निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण — अध्यक्ष;<br>(2) अवर सचिव, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य;<br>(3) कार्यालय प्रमुख, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता - सदस्य। | |

[फा. सं. 6-1/2023-**ए एंड ए**]

विनय कुमार तरुण, अवर सचिव

## MINISTRY OF CULTURE

### Notification

New Delhi, the 19th August, 2026

**G.S.R. 154.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Anthropological Survey of India (General Central Services Class II posts) Recruitment Rules 1962, in so far as they relate to the post of Office Superintendent except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Office Superintendent in the Ministry of Culture, Anthropological Survey of India, namely:

1. **Short title and commencement.-** (1)These rules may be called the Ministry of Culture, Anthropological Survey of India, Office Superintendent, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**– The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**–The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters shall be specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification** .– No person.-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.–Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**–Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

| Name of post. | Number of post. | Classification. | Level in Pay Matrix. | Whether selection Post or non-selection post. | Age-limit for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Office Superintendent. | 17* (2026) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group B, Non-Gazetted, Ministerial. | Level – 6 (Rs.35400 – 112400). | Selection. | Not applicable. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Not applicable. | Not applicable. | Two years. | (i) 80% by promotion, failing which by deputation including short term contract; and<br><br>(ii) 20% by deputation including short term contract. | **Promotion:**<br><br>Senior Secretariat Assistant in level-4 (Rs.25500/- – 81100/-) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and having successfully completed at least two weeks training in area of work related to duties and responsibilities of the higher post.<br><br>**Note1.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>**Deputation (including short-term contract):**<br><br>Officers of Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous bodies or statutory organisation or public sector undertaking or university or recognised research institute:<br><br>(A) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or | **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)**<br><br>**consisting of :-**<br><br>1. Joint Secretary, Ministry of Culture, New Delhi – Chairperson;<br><br>2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Culture, New Delhi – Member;<br><br>3. Director or Head of the Department, Anthropological Survey of India - Member.<br><br>**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)**<br><br>**consisting of :-**<br><br>1. Director, Anthropological Survey of India – Chairperson;<br><br>2. Under Secretary to the Government of India, Ministry of Culture –Member;<br><br>3. Head of | Not applicable. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | department; or<br><br>(ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 (Rs.29200/- -92300/-) in the pay matrix; or<br><br>(iii) with ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 (Rs.25500/- – 81100/-) in the pay matrix; and<br><br>(B) possessing the following educational qualifications and experience as under;-<br><br>(i) Bachelors degree from a recognised university or institute; and<br><br>(ii) two years experience in administration or establishment and accounts work.<br><br>**Note1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br><br>**Note2.-** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br><br>**Note3.-** The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on last date of receipt of applications. | Office, Anthropological Survey of India, Kolkata<br>- Member. | |

[F. No. 6-1/2023-A&A]

VINAY KUMAR TARUN, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2026

**सा.का.नि. 155.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय जहां तक उनका संबंध पुस्तकालय लिपिक (अ) सामान्य से है अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय पुस्तकालय में पुस्तकालय लिपिक (सामान्य) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, पुस्तकालय लिपिक (सामान्य), समूह 'ग' भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 **पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन-मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि –** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची से उपाबद्ध स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता –** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह या संविदा किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह या संविदा किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| **पद का नाम।** | **पद की संख्या।** | **वर्गीकरण।** | **वेतन मैट्रिक्स में लेवल।** | **चयन पद है अथवा अचयन पद।** |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| पुस्तकालय लिपिक (सामान्य)। | 60*(2026)<br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200/- रुपए)। | लागू नहीं। |

| **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।** | **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।** | **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।** |
|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) |
| 18 से 27 वर्ष<br><br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार | (i) मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं पास।<br><br>(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना | आयु : नहीं।<br><br>शैक्षिक अर्हता : हां। |

| | | |
|---|---|---|
| विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी।)<br><br>टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित होगी। | विज्ञान में प्रमाण पत्र।<br><br>**टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाये, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।<br><br>**टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाये कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | |

| **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।** | **भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।** | **प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।** |
|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) |
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। | (i) सीधी भर्ती द्वारा 75 प्रतिशत; और<br>(ii) प्रोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत। | प्रोन्नति: ऐसे बहु-कार्य कर्मचारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स-1 (18000-56900 रुपए) में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हों।<br>**टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। |

| **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।** | **भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।** |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :**<br>1. अवर सचिव (पुस्तकालय), संस्कृति मंत्रालय - **अध्यक्ष**;<br>2. पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता **-सदस्य**<br>3. सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता **-सदस्य** | लागू नहीं होता। |

| | |
|---|---|
| **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :**<br>1. अवर सचिव (पुस्तकालय), संस्कृति मंत्रालय **- अध्यक्ष**;<br>2. पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता **-सदस्य**<br>3. सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता **-सदस्य** | |

[फा. सं. एल.- 20/6/2020-लिब.]

कमलेश कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 20th August, 2026

**G.S.R. 155.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the National Library, Calcutta, Ministry of Tourism & Culture, Department of Culture, (Group 'C' and Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the post of Library Clerk (a) General, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Clerk (General), in the National Library, Kolkata, Ministry of Culture, namely:-

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Ministry of Culture, National Library, Kolkata, Library Clerk (General), Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of post, its classification and level in pay matrix attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**– No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible

for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| **Name of post.** | **Number of post.** | **Classification.** | **Level in pay matrix.** | **Whether selection post or non-selection post.** |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Library Clerk (General). | 60* (2026)<br><br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level - 2 (Rs. 19900–63200). | Not applicable. |

| **Age-limit for direct recruitment.** | **Educational and other qualifications required for direct recruits.** | **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.** |
|---|---|---|
| **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| Between 18 and 27 years of age.<br><br>(Relaxable for the departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br><br>**Note.–** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. | (i) 12th class Pass from a recognized Board;<br><br>(ii) Certificate in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institution.<br><br>**Note 1.–** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.<br><br>**Note 2.–** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. | Age: No.<br><br>Educational qualification: Yes. |

| **Period of probation, if any.** | **Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.** |
|---|---|
| **(9)** | **(10)** |
| Two years for direct recruits. | (i) seventy-five per cent. by direct recruitment; and<br>(ii) twenty-five per cent. by promotion. |

| **In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.** | **If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.** | **Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.** |
|---|---|---|
| **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| **Promotion:**<br><br>Multi-Tasking Staff in level - 1 (Rs. 18000 - 56900) of the pay matrix | Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-<br><br>1. Under Secretary (Library), Ministry of | Not applicable. |

| | | |
|---|---|---|
| with three years regular service in the grade.<br><br>**Note.–** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | Culture – Chairperson<br><br>2. Library and Information Officer, National Library, Kolkata – Member<br><br>3. Assistant Library and Information Officer, National Library, Kolkata – Member<br><br>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-<br><br>1. Under Secretary (Library), Ministry of Culture – Chairperson<br><br>2. Library and Information Officer, National Library, Kolkata – Member<br><br>3. Assistant Library and Information Officer, National Library, Kolkata – Member | |

[No. L-20/6/2020-LIB.]

KAMLESH KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

---

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

## (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2026

**सा.का.नि. 156.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (भण्डारी श्रेणी-1 और भण्डारी श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2022 को, जहां तक उनका संबंध भण्डारी श्रेणी-1 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में भण्डारी श्रेणी-1 के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, भण्डारी श्रेणी-1, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2026 है।

(ख) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता –** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति जिसकी या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पत्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में लेवल |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| भण्डारी श्रेणी -1 | 02* (2026)<br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनतुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4<br>(रु. 25,500- 81,100) |

| **चयन या गैर-चयन पद** | **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा** | **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।** |
|---|---|---|
| (5) | (6) | (7) |
| अचयन | आयु 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच<br>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार चालीस वर्ष तक के सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है<br>**<u>टिप्पण;</u>** आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। | (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण; और<br>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी सांविधिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वशासी निकाय, विश्वविद्यालय या बैंकों या भारत के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निजी क्षेत्र के संगठन के भंडार या निकाय में भंडार संभालने और भंडार में लेखा रख-रखाव में दो वर्ष का अनुभव ।<br>या<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या बिजनेस स्टडीज या लोक प्रशासन में से किसी विषय में स्नातक की उपाधि ।<br>**टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।<br>टिप्पण- 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता। | दो वर्ष।<br>टिप्पण- सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण | पदोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों के न हो सक्ने पर सीधी भर्ती द्वारा। |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। |
|---|---|
| (11) | (12) |
| **प्रोन्नति:** ऐसे भण्डारी श्रेणी -2, जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर -2 (रु. 19,900-63,200) में है और उक्त पद पर आठ वर्ष की सेवा की है।<br>**टिप्पण 1:** इन भर्ती नियमों की अधिसूचना की तारीख को फीडर ग्रेड पद पर कार्यरत पदधारकों के लिए प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा आठ (08) वर्ष के स्थान पर, नियमित आधार पर पांच (05) वर्ष की सेवा बनी रहेगी।<br>**टिप्पण 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br>**टिप्पण 3:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।<br>**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत संविदा भी है)**<br>केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी -<br>(अ) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या<br>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -2 (रुपये 19,900- 63,200) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उक्त ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा की हो: और<br>(ब) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो: - | समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-<br>(1) किसी भी विषय के आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर<br>- अध्यक्ष<br>(2) किसी भी विषय के सहायक आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर<br>-सदस्य<br>(3) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर<br>-सदस्य |

| | |
|---|---|
| (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; और<br><br>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी सांविधिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वशासी निकाय, विश्वविद्यालय या बैंकों या भारत के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निजी क्षेत्र के संगठन के भंडार या निकाय में भंडार और भंडार में लेखा रख-रखाव का दो वर्ष का अनुभव;<br><br>या<br><br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या बिजनेस स्टडीज या लोक प्रशासन में से किसी विषय स्नातक की उपाधि ।<br><br>**टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।<br><br>**टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।<br><br>**टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । | |

| **भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा \|** |
|---|
| **(13)** |
| लागू नहीं होता। |

[फा. सं. ए-12018/3/2025-एसए]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

### (Department of Food and Public Distribution)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2026

**G.S.R. 156.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur (Store Keeper Grade-I and Store Keeper Grade-II) Recruitment Rules, 2022 in so far as they relate to the post of Store Keeper Grade-I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts Store Keeper Grade-I, post in the National Sugar Institute under the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution namely:-

**1. Short title and commencement.** ─ (1) These rules may be called Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Store Keeper Grade-I, Group ‘C’ Posts, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** ─ The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**─ The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** ─ No person, ─

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** ─ Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** ─ Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen, and Other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post. | Number of posts. | Classification. | Level in pay matrix. |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **Store Keeper Grade -I** | 02* (2026)<br>* Subject to variation dependent on work-load. | General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial). | Level-4 (Rs. 25,500-81,100) |

| **Whether selection post or non-selection post.** | **Age-limit for direct recruits.** | **Educational and other qualification required for direct recruits.** |
|---|---|---|
| **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| Non-selection | Between 18 and 27 years.<br>(Relaxable Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br>**Note: -** The crucial date for determining the age-limit shall be advertised by Staff Selection Commission. | (i)12th class pass from a recognised Board or University; and<br>(ii) two years' experience in handling stores and keeping accounts in a store or a concern of Central Government or State Government, or of any statutory organisation, public sector undertaking, autonomous body, University or Banks or in a private sector organisation listed on the stock exchange of the India;<br>or<br>Bachelor's degree with Commerce or Economics or Statistics or Business Studies or Public Administration as a subject from a recognised University or Institute.<br>**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates |

| | | |
|---|---|---|
| | | belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities, possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. |

| **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.** | **Period of probation, if any.** | **Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.** |
|---|---|---|
| **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| Not applicable. | Two years.<br>Note: Mandatory Induction Training for Direct recruits | Promotion failing which by Deputation (including short term contract) and failing both by direct recruitment. |

| **In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.** | **If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.** |
|---|---|
| **(11)** | **(12)** |
| **Promotion:**<br>Store Keeper Grade-II in level-2 (Rs. 19,900-63,200) with eight years' service in the grade.<br>**Note 1:** The qualifying service for promotion for the incumbents in the feeder grade post as on date of notification of these recruitment rules shall continue to be five (05) years of regular service in place of eight (08) years.<br>**Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years', whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>**Deputation (including short term contract)**<br>Officers under the Central Government, -<br>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or<br>(ii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level-2 (Rs. 19,900-Rs. 63,200) in the pay matrix; and<br>(b) possessing the following educational qualification and experience: -<br>(i) $12^{th}$ class pass from a recognised Board or University; and<br>(ii) two years' experience in handling stores and keeping accounts in a store or a concern of Central Government or State Government, or of any statutory organisation, public sector undertaking, autonomous body, University or Banks or in a private sector organisation listed on the stock exchange of the India;<br>or<br>Bachelor's degree with Commerce or Economics or Statistics or Business Studies or Public Administration as a subject from a recognised University or Institute.<br>**Note 1:** The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration | **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion/confirmation), consisting of-**<br>1.Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur<br>- Chairman<br>2. Assistant Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur<br>-Member<br>3. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur<br>-Member |

| | |
|---|---|
| for appointment by promotion.<br>**Note 2:** The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract), in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.<br>**Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. | |

| Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|
| (13) |
| Not applicable. |

[F. No. A-12018/3/2025-SA.]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2026

**सा.का.नि. 157.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय, तकनीकी अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2018 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय, में तकनीकी अधिकारी (समूह 'क' पद) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम - उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय, तकनीकी अधिकारी, समूह ‘क’ पद, भर्ती नियम 2026 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं आदि–**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता –** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**5. शिथिल करने की शक्ति -** जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**6. व्यावृति -** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| तकनीकी अधिकारी | 4 (2026)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय । | वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (56,100-1,77,500 रुपए) |

| चयन पद है या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|
| (5) | (6) | (7) |
| चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा। |
|---|
| (11) |
| **प्रोन्नति:**<br>चीनी एवं वनस्पति तेल निदेशालय में पे मैट्रिक्स के स्तर -7 (₹44,900-1,42,400) पर कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, जिसने इस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या संगठन से चीनी अथवा वनस्पति तेल के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।<br>**टिप्पण 1:** इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष ही बनी रहेगी।<br>**टिप्पण 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।<br>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):<br>केंद्रीय सरकार या राज्य सकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों या वैधानिक संगठनों के अधिकारी: |

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करते हों; या

(ii) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पे मेट्रिक्स के स्तर-9 (₹53,100-1,67,800) अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष पदों पर दो वर्ष की सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पे मेट्रिक्स के स्तर-8 (₹47,600-1,51,100) अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष पदों पर चार वर्ष की सेवा की हो; या

(iv) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पे मेट्रिक्स के स्तर-7 (₹44,900-1,42,400) अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष पदों पर पाँच वर्ष की सेवा की हो ।

और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो,:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से तेल प्रौद्योगिकी में अभियांत्रिकी स्नातक अथवा प्रौद्योगिकी स्नातक; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में स्नातक उपाधि के साथ चीनी प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चीनी प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि; और

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या संगठन से चीनी अथवा वनस्पति तेल के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव ।

**टिप्पण 1:** पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।** | **भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।** |
|---|---|
| **(12)** | **(13)** |
| समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-<br><br>(1) अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष;<br>(2) संयुक्त सचिव (चीनी प्रशा.), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग -सदस्य;<br>(3) निदेशक, (चीनी और वनस्पति तेल), चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय -सदस्य<br>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-<br>(1) संयुक्त सचिव (चीनी प्रशा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग | प्रोन्नति के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

| | |
|---|---|
| -अध्यक्ष<br>(2) निदेशक, (चीनी और वनस्पति तेल), चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय।<br>-सदस्य;<br>(3) निदेशक / उप निदेशक (चीनी प्रशा.), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग<br>-सदस्य | |

[फा. सं. ए- 12018/2/2023-एसए]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 19th August, 2026

**G.S.R. 157.—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, Directorate of Sugar and Vegetable Oils, Technical Officer (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2018, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer (Group 'A' Post), in the Directorate of Sugar and Vegetable Oils namely :-

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, Directorate of Sugar and Vegetable Oils, Technical Officer (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and level in pay matrix.–** The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification. –** No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

**5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Savings. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| **Name of post.** | **Number of posts.** | **Classification.** | **Level in pay matrix.** |
|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| Technical Officer | 4 (2026)<br>* Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial | Level- 10<br>(Rs. 56,100-1,77,500) in the pay matrix. |

| Whether selection post or non-selection post. | Age-limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|
| (5) | (6) | (7) |
| Selection Post. | Not applicable | Not applicable |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes. | Period of probation, if any. | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Two years | By promotion failing which deputation including short-term contract |

**In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**

**(11)**

**Promotion:**

Junior Technical Officer in level-7 in pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400) in the Directorate of Sugar and Vegetable Oils with Five years regular service in the grade; and having successfully completed four weeks training in the field of sugar or edible oils from a recognized institute or organization.

**Note 1:** The eligibility service shall continue to be three years for persons holding the post of Junior Technical Officer on regular basis on the date notification of these rules.

**Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or 2 years, whichever is less and has successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation (including short term contract):

Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or recognized University or recognised research Institutions or autonomous bodies or statutory organizations:

(A). (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-9 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-8 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or

(iv) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-7 in pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400) in the pay matrix equivalent in the parent cadre or department;

and

(B). Possessing the following educational qualifications and experience:

(i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in oil Technology from a recognized University or Institute; or Degree in Science with Post Graduate Diploma in Sugar Technology from a recognized University or Institute; or Degree in Sugar Technology from a recognized university or Institute; and

(ii) Three years' experience in sugar or edible oils in a recognized institute or organization.

**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2:** The Period of deputation including short the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

**Note 3:**The Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceeding 56 years as on the last date of receipt of application.

| **If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.** | **Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.** |
|---|---|
| **(12)** | **(13)** |
| Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering Promotion consisting of: -<br>1. Chairman/ Member, Union Public Service Commission.<br>-Chairman<br>2. Joint Secretary (Sugar Admn), Department of Food and Public Distribution.<br>-Member<br>3. Director, (Sugar and Vegetable Oils), Directorate of Sugar and Vegetable Oils.<br>-Member<br>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation consisting of:-<br>1. Joint Secretary (Sugar Admn), Department of Food and Public Distribution.<br>-Chairman<br>2. Director, (Sugar and Vegetable Oils), Directorate of Sugar and Vegetable Oils.<br>-Member<br>3. Director/ Deputy Secretary (Sugar Admn), Department of Food and Public Distribution.<br>-Member | Consultation with Union Public Service Commission is necessary for promotion. |

[F. No. A- 12018/2/2023-SA]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.

---

## पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2026

**सा.का.नि. 158.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यटन कार्यालय, भारत सरकार (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यटन मंत्रालय में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यटन मंत्रालय, भारत पर्यटन कार्यालय, अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मेट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, तथा वेतन मेट्रिक्स में स्तर वही होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदिः-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इस पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता–** वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकार्य विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मेट्रिक्स में स्तर और ग्रेड पे या वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| अवर श्रेणी लिपिक | *20 (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय वर्गीय | वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर–2 (19,900-63,200 रु.) | अचयन | 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच<br>(भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए रियायत)<br>**टिप्पण:** आयु सीमा विहित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तय की जाएगी। | i. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण या समकक्ष अर्हरता;<br>ii. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।<br>**टिप्पण:** प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा या 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के समतुल्य 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| जी हां।<br>**(क) अर्हता:**<br>i. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण या | दो वर्ष।<br>**टिप्पण:** न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि का आज्ञापक प्रारंभिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना | i. 85% रिक्तियां कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाएंगी;<br>ii. 5% रिक्तियां वरीयता के आधार पर |

| | | |
|---|---|---|
| समकक्ष अर्हता;<br>ii. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।<br><br>**टिप्पण:** प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा या 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के समतुल्य 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट।<br><br>**(ख) आयुः**<br>विभागीय परीक्षा हेतु पात्र व्यक्तियों की अधिकतम आयु सीमा पैंतालीस वर्ष होगी (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए पचास वर्ष की आयु) | परिवीक्षा पूरी करने की शर्त है। | प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी,<br>iii. 10% रिक्तियां सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर अन्यथा प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी। |

| **प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में ग्रेड** |
|---|
| **(11)** |
| **प्रोन्नति:**<br>i. 5% रिक्तियां समूह 'ग' के कर्मचारियों (एमटीएस) में से, जो वेतन स्तर 1, वेतन मेट्रिक्स 18000-56900 रु. में हो और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं या समकक्ष की अर्हता हो और वेतन स्तर 1 में तीन वर्ष की नियमित सेवा दी हो, उनसे वरीयता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी;<br>ii. 10% रिक्तियां समूह 'ग' के कर्मचारियों (एमटीएस) में से, जिन्होंने वेतन स्तर 1, वेतन मेट्रिक्स 18000-56900 रु. में तीन वर्ष की नियमित सेवा दी हो, उनसे सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर अन्यथा प्रोन्नति के माध्यम से भरी जाएंगी।<br><br>**टिप्पण 1:** यदि स्तंभ (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों से अधिक कर्मचारी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों को अगले वर्ष भरी जाने वाली रिक्तियों में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा जिससे पूर्व में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों पर बाद की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके।<br><br>**टिप्पण 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों की प्रोन्नति के संबंध में विचार किया जा रहा हो जो अपनी अर्हता या पात्रता पूरी कर चुके हों, वहां उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा परंतु उनकी आवश्यक अर्हता या पात्रता सेवा की अवधि आधे से अधिक या दो वर्ष (जो भी कम हो) से कम न हो, और उन्होंने अगली उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। इस स्थिति में वरिष्ठ कर्मचारियों पर उनके उन कनिष्ठों के साथ ही प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा, जिन्होंने पहले ही आवश्यक अर्हता या पात्रता संबंधी सेवा पूरी कर ली है। |

| **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचनाः** | **भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।** |
|---|---|
| **(12)** | **(13)** |
| विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) में शामिल है:<br>1. क्षेत्रीय निदेशक (पर्यटन) - अध्यक्ष<br>2. सहायक निदेशक (प्रशासन प्रभारी) - सदस्य;<br>3. पर्यटन कार्यालय या केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालय या विभाग से एक राजपत्रित | लागू नहीं होता। |

| | |
|---|---|
| अधिकारी - सदस्य।<br>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) में शामिल हैं:-<br>1. क्षेत्रीय निदेशक (पर्यटन) - अध्यक्ष<br>2. सहायक निदेशक (प्रशासन प्रभारी) - सदस्य;<br>3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग या कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी - सदस्य। | |

[फा. सं. ए-12018/15/2023-प्रशा.I]

बी.एच.टी. वैफेई, अवर सचिव

## MINISTRY OF TOURISM

New Delhi, the 20th August, 2026

**G.S.R. 158.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Tourist Offices of Government of India (Group 'C' Posts) Recruitment Rules 2001, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk, in India Tourism Offices in the Ministry of Tourism, namely: -

**1. Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Tourism, India Tourism Offices, Lower Division Clerk (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualification, etc. - The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns(5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification. –** No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered in contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Savings. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, Ex. Servicemen, the other Backward Classes and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| **Name of post.** | **Number of post.** | **Classification.** | **Pay level in pay matrix and grade pay or pay scale.** | **Whether selection post or non-selection post.** | **Age limit for direct recruits.** | **Educational and other qualifications required for direct recruits.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| Lower Division Clerk | *20 (2026)<br>*Subject to variation, dependent on | General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, | Pay level 2 in the pay Matrix (Rs. 19900- | Non-selection | Between 18 to 27 years of age. (relaxable for Government | (i) 12th class pass or equivalent qualification from a recognised Board or |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | work load. | Ministerial | 63200) | | servants in accordance with the instructions or orders issued by Government of India from time to time).<br><br>**Note.** The Crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. | University;<br>(ii) a typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer.<br>**Note:** 35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 key depressions per hour or 9000 key depressions per hour on an average of 5 key depressions for each word) |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. |
|---|---|---|
| **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| Yes<br><br>(a) Qualification:<br><br>(i) $12^{th}$ class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University;<br><br>(ii) a typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer.<br><br>**Note:** 35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 key depressions per hour or 9000 key depressions per hour on an average of 5 key depressions for each word).<br><br>(b) Age:<br><br>The maximum age limit for eligibility for departmental examination is forty-five (fifty years of age for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes). | Two years.<br><br>**Note:** Successful completion of mandatory induction Training of at least two weeks duration is a pre-requisite for completion of probation. | (i) 85% of vacancies by direct recruitment through Staff Selection Commission;<br><br>(ii) 5% of the vacancies shall be filled by promotion on the basis of seniority;<br>(iii) 10% of the vacancies shall be filled on the basis of limited Departmental qualifying examination, failing which, by promotion. |

| In case of recruitment by promotion or deputation or Absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made. |
|---|
| **(11)** |
| Promotion:<br>(i) 5% of the vacancies shall be filled by promotion on the basis of seniority from amongst the Group C Staff (MTS) in pay level 1, Pay matrix Rs 18000-56900, who possess 12th or equivalent qualification from a recognised Board or University and have rendered three years' regular service in the pay level 1;<br><br>(ii) 10% of the vacancies shall be filled on the basis of limited departmental qualifying examination, from amongst the Group C Staff (MTS) in the pay matrix (Rs 18000-56900, level 1) who possess 12th or equivalent qualification from a recognised Board or University and have rendered three years' regular service in pay level 1, Pay matrix Rs 18000-56900, failing which through promotion.<br><br>**Note 1:** If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employee qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.<br><br>**Note 2**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|
| **(12)** | **(13)** |
| Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-<br><br>1. Regional Director (Tourism) -Chairperson;<br><br>2. Assistant Director (In charge Administration) –Member;<br><br>3. One Gazetted Officer from Tourism office or from another department of the Central Government Office or Department –Member.<br><br>Departmental promotion committee (for considering promotions) consisting of:-<br><br>1. Regional Director (Tourism) - Chairperson;<br><br>2. Assistant Director (In charge Administration) - Member;<br><br>3. A Gazetted Officer from another department of Central Government or Office - Member. | Not applicable. |

[F. No. A-12018/15/2023-Admn.I]

B.H.T. VAIPHEI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.09.02 15:40:22 +05'30'